

कार्यालय नगर परिषद अकोदिया, जिला-शाजापुर (म.प्र.)

Email:- cmoakodiya@mpurban.gov.in

क्रमांक/सूचना का अधिकार/2025/543



अकोदिया, दिनांक 21/08/2025

प्रति

कलेक्टर महोदय,  
(जिला ई गवर्नेश) जिला शाजापुर म.प्र.।

विषय :- सूचना का अधिकार 25 बिन्दु की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में।

---0000---

महोदय,

उपरोक्त विषयातर्गत निवेदन है कि निकाय की सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत 25 बिन्दु की जानकारी एनआईसी पोर्टल पर अपलोड की जाना है जिस हेतु सूचना का अधिकार 25 बिन्दु की जानकारी तैयार कर पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु पत्र के साथ संलग्न श्रीमान की ओर सादर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

21/08/25

(राजेश कुमार सेन)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी  
नगर परिषद अकोदिया  
नगर परिषद अकोदिया

# कार्यालय नगर परिषद अकरोडिया जिला शाजापुर म.प्र.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) XVII के अंतर्गत लोक प्राधिकारियों के दायित्वों का मैनुअल

| स. क्र. | विषय   | निकाय की जानकारी   |
|---------|--|--|
| 1       | 2  | 3  |
| 1       | कार्य एवं कर्तव्य  | नगर पालिका अधिनियम 1961, नगर पालिका सेवा (वेतन एवं भत्ते नियम 1968/1967) के अंतर्गत विभिन्न संगठनों के विवरणों में कार्य संपादित किये जाते हैं।  |
| 2       | अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य   | नगर पालिका सेवा (वेतन एवं भत्ते नियम 1968/1967) के तहत मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं नगर पालिका कर्मचारी के लिए चेप्टर 4 के अनुसार शक्तियां एवं कर्तव्य हैं।  |
| 3       | निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन। (Rules of Business)  | नगर पालिका अधिनियम 1961 अध्याय 3 कामकाज का संचालन में निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व सम्मिलित है।   |
| 4       | कार्य के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदण्ड <ul style="list-style-type: none"> <li>• निकाय कार्य प्रणाली पुस्तिका</li> <li>• म.प्र. कार्यपालक शासन के कार्य नियम</li> <li>• निकाय के कार्य आवंटन नियम</li> </ul> | <p>म.प्र.शासन द्वारा शहरी निकायों के क्षेत्रों के कार्य संचालन हेतु 07 शाखाओं का गठन किया गया है। जिसमें कार्यरत कर्मचारी एवं अधिकारी द्वारा निकाय की कार्य प्रणाली के तहत एक प्रकरण एवं पत्रिका तैयार की जाती है।</p> <p>म.प्र.शासन द्वारा शहरी निकाय को चलाने के लिए प्रतिनिधि के रूप में मुख्य नगर पालिका अधिकारी की पदस्थापना की जाती है। वर्तमान में उक्त पद पर श्री प्रवीण सेन कार्यरत हैं। सीएमओ द्वारा म.प्र.नगर पालिका अधिनियम में उल्लेखित विभिन्न नियमों को कार्य कराने का दायित्व होता है। यह कार्यपालक पद होता है।</p> <p>शासन द्वारा पदेन मुख्यनगर पालिका अधिकारी के द्वारा निकाय के कार्य संचालन हेतु विभिन्न शाखाओं के कर्मचारियों को कार्य के आवंटन किया जाता है।</p> |
| 5       | नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली और अभिलेख, कार्य के निर्वहन के लिए मैनुअलों और निकॉर्डों की सूची जिनका उपयोग कार्यों के निर्वहन के लिए किया जाता है।   | नगर पालिका अधिनियम 1961, नगर पालिका सेवा (वेतन एवं भत्ते नियम 1968/1967) में उल्लेखित नियम के तहत कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उसके द्वारा धारित या उसके द्वारा नियंत्रणधीन या कर्मचारीगण द्वारा प्रयुक्त नियमों, विनियमों अनुदेशों और अभिलेखों के लिए निर्धारित मापदण्ड है।   |
| 6       | नियंत्रण में रखे गए आधिकारिक दस्तावेजों,   | नगर पालिका अधिनियम 1961, नगर पालिका सेवा (वेतन एवं भत्ते नियम 1967/1967) में उल्लेखित नियम के तहत दस्तावेजों जो कि निकाय द्वारा धारित हैं या नियंत्रणधीन में किये जाते हैं।  |
| 7       | नीति निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व   | नगर पालिका अधिनियम 1961 के तहत किसी व्यवस्था की विषष्टियां जो उसकी नीति निर्धारित करने या उसके क्रियान्वयन के संबंध में निकाय में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सदस्यगणों से सलाह करने के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन करने के लिए विद्यमान है।  |



8 समितियों के बारे में जानकारी  
 म.प्र.नगर पालिका अधिनियम (प्रेसिडेन्ट इन काउंसिल की शक्तियां तथा इसके कामकाज के संचालन हेतु प्रक्रिया) नियम 1997 के तहत निकाय में आम निर्वाचन 2022 में 15 वार्डों के पार्षदगणों का निर्वाचन हुआ है। जिसके तहत दिनांक 12.08.2022 को प्रथम सम्मेलन आहुत कर श्रीमती रचना सचिन शर्मा को अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुई है। जिन्होंने निकाय के अध्यक्ष का पदभार दिनांक 22.08.2022 को ग्रहण कर लिया है तत्पश्चात इनके द्वारा अध्यक्ष इन काउंसिल का पुर्नगठन दिनांक 21.10.2024 को हुआ है। समिति के गठन के अनुसार निकाय स्तर पर पांच समितियों का गठन हुआ जो निम्नानुसार है।

| क्र. | समिति का नाम  | सभापति का नाम                |
|------|---|------------------------------|
| 1    | सामान्य प्रशासन राजस्व वित एवं लेखा विभाग             | श्रीमती रेखा शिवनारायण खत्री |
| 2    | जलकार्य सीवेंज स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग | श्री नितेश चौहान             |
| 3    | लोक निर्माण उद्यान, विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग       | श्री मुकेश जाधव              |
| 4    | योजना, यातायात परिवहन एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग    | श्री राजकुमार परमार          |
| 5    | शहरी गरीबी उपषमन विभाग                                | श्रीमति संजना पवन धनगर       |

उपरोक्त गठन समिति को मेयर इन काउंसिल के कर्तव्य नियम 1998 के अनुसार नियम 2 के तहत निकाय क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न कार्य के स्वीकृति का नियम में उल्लेखित राशि का अधिकार है। इसके साथ कर्मचारियों से संबंधित समस्त प्रकार के प्रकरण इन समितियों को निर्णय लेने का अधिकार है साथ ही निकाय में उपयोग की जाने वाली सामग्री निविदा आमंत्रित सूचना प्रकाशित कर क्रय करने का अधिकार दिये गये है।

| क्र. | अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका | नाम                     | पदनाम                | मो.नंबर    |
|------|--|-------------------------|----------------------|------------|
| 1    | अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका | श्री राजेश कुमार सेन    | प्र.मु.न.पा. अधिकारी | 9200541317 |
| 2    |  | श्री कपिल परमार         | भृत्य                | 9617474723 |
| 3    |  | श्री भंवर सिंह प्रजापति | पम्प अटेंडेंटे       | 9926417739 |
| 4    |  | श्री सुरेन्द्र परमार    | स.रा.नि.             | 9691326155 |
| 5    |  | श्री जितेन्द्र राजोरिया | स.ग्रे.-03           | 8965890487 |
| 6    |  | श्री अरविन्द योगी       | भृत्य                | 7999471355 |
| 7    |  | श्री रोशनलाल कुशवाह     | ज.प्र.प्लम्बर        | 9754096114 |
| 8    |  | श्री राजू भारती         | जलप्रदाय ब्लाईनमेन   | 8959259765 |
| 9    |  | श्री मुकेश अहिरवार      | चालक                 | 9926071312 |
| 10   |  | श्री गंगाराम दयाराम     | जनसेवक               | -          |
| 11   |  | श्री मांगीलाल रामलाल    | जनसेवक               | -          |
| 12   |  | श्री राजू रामलाल        | जनसेवक               | -          |
| 13   |  | श्री मनीष रानवे         | जनसेवक               | 9977115993 |
| 14   |  | श्रीमती मालती पंचोली    | समुदायिक संगठिका     | 9826895019 |
| 10   | अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त | नाम                     | पदनाम                | मूल वेतन   |
| 1    |  | श्री राजेश कुमार सेन    | प्र.मु.न.पा. अधिकारी | 9200541317 |

|    |   |  |  |            |
|----|---|--|--|------------|
| 2  | मासिक पारिश्रमिक, विनियमों में प्रदान की गई प्रणाली की क्षतिपूर्ति सहित                           | श्री कपिल परमार  | भृत्य  | 9617474723 |
| 3  |   | श्री भंवर सिंह प्रजापति  | पम्प अटेंडेंट  | 9926417739 |
| 4  |   | श्री सुरेन्द्र परमार   | स.रा.नि.   | 9691326155 |
| 5  |   | श्री जितेन्द्र राजोरिया  | स.ग्रे.-03   | 8965890487 |
| 6  |   | श्री अरविन्द योगी  | भृत्य  | 7999471355 |
| 7  |   | श्री रोशनलाल कुशवाह  | ज.प्र.प्लम्बर  | 9754096114 |
| 8  |   | श्री राजू भारती  | जलप्रदाय लाईनमेन   | 8959259765 |
| 9  |   | श्री मुकेश अहिरवार   | चालक   | 9926071312 |
| 10 |   | श्री गंगाराम दयाराम  | जनसेवक   | -          |
| 11 |   | श्री मांगीलाल रामलाल   | जनसेवक   | -          |
| 12 |   | श्री राजू रामलाल   | जनसेवक   | -          |
| 13 |   | श्री मनीष रानवे  | जनसेवक   | 9977115993 |
| 14 |   | श्रीमती मालती पंचोली   | समुदायिक संगठिका   | 9826895019 |
| 11 |   | प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट जिसमें योजनाएं आदि शामिल हैं।  | नगर पालिका द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में नगर पालिका अधिनियम के तहत विभिन्न कार्यों के मदों में बजट का प्रावधान कर योजनाएं बनाई जाती हैं तथा केन्द्र एवं राज्य शासन स्तर की योजनाओं को पूर्ण करने में अनुदान आवंटित किये जाते हैं। |            |
| 12 | सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का प्रबंध   | निरंक  |  |            |
| 13 | रियायतें, परमिटिया के प्राप्तकर्ता के विवरण, लोकप्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अनुदान (निरंक)         | निकाय के वसूली मद में आम नागरिकों को नगर पालिका अधिनियम एवं शासन द्वारा अनुदत्त रियायतों अनुज्ञाओं के प्राधिकृत किये जाने का प्रावधान है।  |  |            |
| 14 | इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उपलब्ध सूचना   | निकाय द्वारा संघारित रिकार्ड या उसके द्वारा धारित सूचना को निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रखा जाता है।   |  |            |
| 15 | सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, पुस्तकालय/रिडिंग रूम इत्यादि। | निकाय द्वारा आम नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विषिष्टियों को मुनादी या बेनर पोस्टर तथा प्रिंट मिडिया के माध्यम से सुविधाएं प्राप्त करने हेतु कार्यालयीन समय में सम्मिलित है।  |  |            |
| 16 | सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के नाम, पदनाम और अन्य विवरण।  | श्री राजेश कुमार सेन प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी, 9200541317<br>श्री सुरेन्द्रसिंह परमार स.रा.नि. एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी 8770655572<br>श्री राजीव निगम प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन उज्जैन 9425156100 |  |            |
| 17 | अन्य उपयोगी जानकारी   |  |  |            |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• पुरस्कार</li> </ul>                       | निकाय के किसी कार्य में श्रेष्ठतम कार्य के लिए पुरस्कार देने का प्रावधान है   |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• विरिष्ठता सूची</li> </ul>                 | वरिष्ठता सूची संधारित की जाती है।   |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• पदों की जानकारी</li> </ul>                | प्रपत्र संलग्न है।  |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• विभागीय जांच</li> </ul>                   | म.प्र.नगर पालिका कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियम 1968 के भाग 12 में नियंत्रण एवं अनुषासन की धारा 48 से 52 तक विभिन्न शास्तियां में आरोपित करने का सीएमओ, अध्यक्ष तथा अध्यक्ष इन काउंसिल में निहित है इस प्रकार किसी प्रकरण में विभागीय जांच करने का अधिकार है फिलहाल निकाय में किसी प्रकार की विभागीय जांच प्रचलित नहीं है।                                 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• सूचना का अधिकार अध्ययन रिपोर्ट</li> </ul> | सूचना का अधिकार 2005 नियम के तहत निकाय के लोक सूचना अधिकारी का निरंतर प्रयास होगा कि वह स्वप्रेरणा से संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से जिनके अंतर्गत इंटरनेट भी है नियमित अंतरालों पर जनता को सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपधारा (1) के खण्ड ख की आपेक्षाओं के अनुसार उपयोग करेगा जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का अध्ययन कर सकेगा। |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट</li> </ul>       | निकाय के कार्यों में गड़बड़ी होने की दशा में निकाय को अधिकार है कि किसी विशेष प्रकरण में थर्ड पार्टी कराने के लिए शासन को अनुशंसा कर सकते हैं साथ ही ऑडिट की हुई रिपोर्ट को परिषद बैठक में प्रसारित किया जाता है।   |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन</li> </ul>    | सूचना के अधिकार के तहत निकाय में वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन तैयार किया जाता है।  |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• पुस्तकालय</li> </ul>                      | संचालित नहीं है।  |
| 18 | निविदाएं   | म.प्र.शासन द्वारा भंडार नियम 2022 के तहत निकाय के विभिन्न कार्य निविदा माध्यम से कराये जाते हैं जैसे कि निर्माण कार्य, पेयजल एवं स्वच्छता सामग्री खरीदी नगर में प्रकाश व्यवस्था सामग्री खरीदी एवं अन्य सामग्री इत्यादि।   |
| 19 | सार्वजनिक निजी साझेदारी (निरंक)  | निरंक   |
| 20 | स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश   | स्थानांतरण नीति के तहत शासन द्वारा निकाय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का समय-समय पर स्थानांतरण आदेश जारी किये जाते हैं।   |
| 21 | आरटीआई आवेदन प्राप्त एवं निराकरण   | सूचना का अधिकार 2005 के नियम 6 व 7 आरटीआई आवेदन प्राप्त करना व निराकरण करने की कार्यवाही की जाती है।  |
| 22 | सीएजी और पीएसी पैरा  | निकाय को केन्द्र शासन की योजनाओं में होने वाले व्यय को परीक्षण करने के लिए आंकेक्षण कार्य किया जाता है तथा निकाय के संधारित समस्त प्रकार के लेखाओं का आंकेक्षण कार्य लोकल फण्ड विभाग द्वारा किया जाता है।   |
| 23 | सेवा प्रदाय एक्ट   | म.प्र.शासन द्वारा सेवा प्रदाय लोक सेवा गारंटी के माध्यम से सेवाएं प्रदाय करने का एक्ट है।<br>1. श्रम विभाग 300<br>2. नगरीय प्रशासन एवं विकास 112 से 118<br>3. योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी 136 से 140<br>4. समाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग 142 से 152<br>5. खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग 250  |

|    |  |       |
|----|--|-------|
| 24 | डिस्केशनरी और<br>नॉन-डिस्केशनरी<br>अनुदान (विवेकाधीन और<br>गैर-विवेकाधीन अनुदान) | निरंक |
| 25 | सीएम, मंत्रियों,<br>अधिकारियों के विदेशी<br>दौरे।                                | निरंक |

2/10/04  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगर परिषद अकोटिया